राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 400/2015 व 401/2015..... जिला .....अजमेर.....

उनवान : मैसर्स वंश पेट्रोकेमिकल्स, सी–542, पंचशील नगर, अजमेर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर अजमेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2015	**खण्डपीठ** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **आशा कुमारी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 256 व 253/14–15/वैट/अजमेर में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 16.03.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.01.2015 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61(2) से सृजित मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने से इन्कार किया है। अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 10.11.2014 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स रोयल सेल्स कॉर्पोरेशन, अलवर से 'Refined Furnace Oil' क्रय किया जाकर आई.टी.सी. क्लेम किया गया है। जबकि जांच में पाया गया कि मैसर्स रॉयल सेल्स कॉर्पोरेशन का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जा चुका था। जिन इन्वॉयसेज से माल क्रय किया जाना दर्शाया गया है, उनके साईज, प्रिंटिंग आदि में भिन्नता पायी गयी है, जिस वाहन (टैंकर) संख्या आर.जे.13/जीए–8141 से माल आयात किया जाना बताया गया है, उसकी भराव क्षमता 12000 लीटर है, जबकि माल 18000/25000 लीटर आयात करना बताया गया है। परिवहन से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज यथा बिल्टी, चालान व कांटा–पर्ची प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार करापवंचन की मंशा से बिल तैयार कर आई.टी.सी. क्लेम किया जाना मानते हुए आई.टी.सी. अस्वीकार किया गया, साथ ही 5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 61(2) के तहत शास्ति का आरोपण पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.01.2015 से किया गया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 400/2015 व 401/2015..... जिला .....अजमेर.....

उनवान : मैसर्स वंश पेट्रोकेमिकल्स, सी–542, पंचशील नगर, अजमेर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर अजमेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए

27/03/2015

अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करते हुए, स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जिनमें सृजित मांग पर वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेशों दिनांक 16.03.2015 से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	कर @5%	ब्याज	शास्ति	योग	चाहा गया स्थगन
400/15	2013–14	2,30,075	27,610	9,20,300	11,77,985	15,54,977
401/15	2014–15	84,600	5,922	3,38,400	4,28,922	4,20,867

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा समस्त माल विधिक इन्वॉयस के जरिये नियमानुसार कर अदा किया जाकर क्रय किया गया है। चुकाये गये कर के पेटे आई.टी.सी. क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी पुख्ता आधार के मिथ्या दस्तावेजों से माल खरीद किया जाना अवधारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा चाहे गये आई.टी.सी. को अस्वीकार किया तथा साथ ही कर, ब्याज व शास्ति की भारी मांग भी सृजित की है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों व विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट प्रमाणित होने पर कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स रॉयल सेल्स कॉर्पोरेशन से मिलीभगत कर, मिथ्या बिलों से माल क्रय किया जाना दर्शाते हुए आई.टी.सी. क्लेम किया गया है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. को अस्वीकार करते हुए नियमानुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन करने के उपरान्त अपीलार्थी के

लगातार.....3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2015	स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये गये हैं। उक्त तर्कों के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रकरणों में सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में बताते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण आदेशों का अवलोकन करने के पश्चात प्रकरणों में कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। केवल धारा 61(2) के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक सुविधा संतुतलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, प्रकरणों में वेट अधिनियम की धारा 61(2) के तहत आरोपित **'शास्ति'** राशि क्रमशः **रूपये 9,20,300/– एवं रूपये 3,38,400/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकरणों में विवादित **'कर एवं ब्याज'** की सम्पूर्ण राशि जमा कराने एवं आरोपित शास्ति राशि बाबत कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 27.03.15 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	